



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127036

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 5236

सन् 2026

फूल झारी देवी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आशुतोष गांगुली, जुनैद हसन, रंजय कुमार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : जी.ए., मनोज सिंह राठौर

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आज न्यायालय में अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 240 सन् 2023, थाना- फेफना, जिला- बलिया में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस प्रकरण में फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दी गई प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक पिछले दो सालों से दुकान का किराया नहीं दे रहा था। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि शिव नाथ प्रसाद ने विवादित दुकान के संबंध में 10.07.2007 को आवेदक के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित की थी। आवेदक एक वास्तविक खरीदार है। यह भी कहा गया है कि सक्षम न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों के बीच विक्रय विलेख को निरस्तीकरण करने से संबंधित एक दीवानी मुकदमा भी लंबित है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत का समय हमेशा सीमित नहीं होना चाहिए। उचित प्रकरणों में, यह विचारण के खत्म होने तक जारी रह सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर, दी गई अग्रिम जमानत चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी विचारण तक जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे गवाहों को डराना-धमकाना की संभावना, और न्याय से बचने जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका



और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. अग्रिम ज़मानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय में, यह प्रकरण आवेदक को विचारण तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है।

8. इसके अनुसार प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक - **फूल झारी देवी** को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की प्रति के साथ संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो जमानतियों के साथ व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करें। उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) आवेदक प्रकरण में तय तारीख पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश होगी और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगी।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी तथा यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के समक्ष जमा कराना होगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार बन सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11 जून, 2026

नीतू

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।